**UPBN**010065842022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय कक्ष संख्या–5, बदायूँ।

जमानत प्रार्थना पत्र सं0– 3267/2022

साहिल कुमार उर्फ भोलू बनाम राज्य

मु०अ०सं०– 430/2022

अंतर्गत धारा– 457, 380 व 411 भा०दं०सं०

थाना– कोतवाली, जनपद बदायूँ।

15.10.2022:

प्रार्थी/अभियुक्त साहिल कुमार उर्फ भोलू पुत्र संतोष कुमार, उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम नगला शर्की, थाना सिविल लाइन, जनपद बदायूँ की ओर से उक्त प्रकरण में जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार, बदायूँ में निरूद्ध है। अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 29.09.2022 की सत्यप्रति दाखिल की गई है।

शपथ पत्र सन्तोष कुमार इस आशय का दिया गया है कि यह अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही खारिज हुआ है।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा डा० मोहन लाल मौर्य ने दिनांक 09.09.2022 को समय 20.20 बजे पुलिस में एफ.आई.आर. अंकित कराते हुए कहा है कि वे दिनांक 26.08.2022 को साढ़े आठ बजे कोटा (राजस्थान) गये थे दिनांक 03.09.2022 को प्रातः 04:00 बजे वापस घर आने पर उन्होंने देखा कि मकान पर दूसरा ताला लगा है। थाना कोतवाली, बदायूँ को सूचित किया। पुलिस द्वारा ताला तोड़ने पर अंकन 47,000/– रूपए नगद, सोने की दो चैन व सोने की दो अंगूठियां चोरी हो गयीं।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि पुलिस द्वारा झूठा नामजद किया गया है। बरामदगी झूठी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है। उसे घर से पकड़कर मुकदमा लगाया गया है। वह दिनांक 10.09.2022 से कारागार में निरूद्ध है। वह साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा। उसकी ओर से जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

उभय पक्षों के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्त का जो आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है उनमें अभी तक अभियुक्त की दोषसिद्ध नही हुई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात मे दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त साहिल कुमार उर्फ भोलू के पास से 26,300/– रूपए बरामद हुए। बरामदगी का कोई जनसाक्षी नहीं है। अभियुक्त दिनांक 10.09.2022 से कारागार में निरूद्ध है। सह अभियुक्त शारिक की जमानत दिनांक 04.10.2022 को हो चुकी है। समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**<u>आदेश</u>**

प्रार्थी/अभियुक्त साहिल कुमार उर्फ भोलू की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर मुबलिग 50,000/– रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि की दो जमानतें व अंडरटेकिंग दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। अभियुक्त इस आशय की अंडरटेकिंग भी प्रस्तुत करेगा कि विवेचना में पूर्ण सहयोग देगा और साक्षियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा। जमानत पर छूटने के बाद पुनः किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा। अन्यथा जमानत शर्तों का उल्लंघन मानते हुए उसकी जमानत निरस्त कर दी जाएगी।

दिनांक : 15.10.2022

प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश/
न्यायालय कक्ष सं०–05, बदायूँ।

Digitally signed by MOHD SHARIQ SIDDIQUE
Date: 2022.11.03 16:02:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court